न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 220/2017/डिक्री

1. मंजूदेवी पत्नि स्व0 भेरूलाल ब्राह्म्ण
2. कोमल कुमारी पुत्री भेरूलाल ब्राह्म्ण
   निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. कालूलाल पिता भेरूलाल ब्राह्म्ण नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मंजूदेवी पत्नि स्व0 भेरूलाल ब्राह्म्ण निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

–अपीलान्टस

बनाम

1. रणजीत सिंह पिता अभयसिंह राजपूत
2. शहनाज पत्नी जाहिद मोहम्मद मंसुरी मूसलमान
3. जगदीश पिता पूरणमल अग्रवाल
4. कंचनदेवी पत्नि बालचंद खटीक
5. राजकुमार पिता मथुरालाल टांक
   सभी निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 09.10.2017 प्रकरण सं. 117/2017

उपस्थित – 1. श्री संजय मौड – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट – 1

निर्णय दिनांक– 10.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रणजीत सिंह एक वाद पत्र धारा 53 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जो दिनांक 10/09/2014 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया तथा निवेदन किया कि ग्राम भादसोडा तहसील भेदसर के खाता संख्या 504 मे स्थित खसरा नम्बर पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खाातेदारी मे दर्ज होकर नवीन आराजी नम्बर 1029,1030,1031,1050 कुल किता 4 रकबा 1.28 है0 दर्ज रिकार्ड है तथा दिनांक 03/08/2011 के बाद सेटलमेन्ट हुआ जिसके अनुसार अंतिम सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी के पुराने आराजी नम्बर 843 मीन एवं आराजी नम्बर 842 मीन है। इस वाद मे नवीन आराजी नम्बर 1050 का बंटवाडा कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

2. यह कि वादी के पुरानी आराजी नम्बर 843 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मे से प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से मे से रकबा 0.15 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1050 रकबा 0.17 है0 है। जिसे दिनांक 03/08/2011 को रजिस्टर्ड डीड के जरिये प्रतिवादी नम्बर 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा कब्जा मिलने के बाद वाद के पक्ष मे इंतकाल नम्बर 3395 से दिनांक 23/08/2011 को वादी के पक्ष मे विधिवत खाता खोला गया। वादी ने उक्त आराजी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। सभी आराजीयात का खाता संयुकत है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 अपने–अपने खरीदशुदा हिस्से पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05/08/2014 को वादपत्र दर्ज कर नोटिस सम्मन दिनांक 10/09/2014 को जारी किये तथा पेशी दिनांक 08/10/2014 को नियत की गई दिनांक 08/10/2014 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29/10/2016 को नियत की गई दिनांक 29/10/2014 को पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण दिनांक 28/10/2014 को पेशी नियत की गई। दिनांक 28/11/2014 को पत्रावली पेशी पेश की गई। दिनांक 10/09/2014 को जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। उसके बाद लगातार दिनांक 12/12/2014, 30/01/2015, 10/04/2015, 29/05/2015 पर आगामी पेशी दिनांक 07/09/2015 नियत की गई। दिनांक 07/09/2015 को वादी के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थिति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिसका जवाब वादी द्वरा पूर्व मे पेश किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दिनांक 09/06/2015 को प्रकरण संख्या 80/2017 के आदेशानुसार पुनः प्रकरण दर्ज किया गया जिसके नये नम्बर 117/17 वाद व वास्ते तामील रिपोर्ट दिनांक 30/08/2017 को नियत की गई। दिनांक 28/07/2017 को आराजी नम्बर 1050 है0 जमीन मे वादी का राजस्व रिकार्ड मे 16/97 मौके पर हस्ब पर आराजी नम्बर 1050 मे कब्जा काश्त होना दर्ज है तथा बंटवाडा विभाजन पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सम्मन अपीलान्ट को जारी नही किये गये ना ही कोई तामील हुई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध निर्णय पारित मे विधिक त्रुटि की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि ग्राम भादसोडा के खाता संख्या 504 मे स्थित खसरा नम्बर 1029,1030,1031,1050 कुल किता 4 रकबा 1.28 है0 को

लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु कोई सम्मन जारी नही किया गया। दिनांक 07/09/2015 को धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि इस भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा स्थगन प्राप्त है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोक दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 09/06/17 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण संख्या 80/2017 निर्णय दिनांक 08/06/17 के क्रम मे पुनः दर्ज कर लिया गया। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश निम्बाहेडा के निर्णय के मुताबिक उल्लेखित सिविल वाद अदम हाजिरी मे खारीज हो गया जिसमे स्टे प्रार्थना पत्र पूर्व मे ही खारीज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी 30/08/2017 दी गई जिसमे दिनांक 12/06/2017 को जल्दी सुनवाई हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 22/06/2017 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि की आदेशिका पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अण्डर टेकिग एडवोकेट श्री फारूख मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2,4,5, बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 8 की उपस्थिति दिखाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के सम्मन अदम तामील लौटाने के कारण पुनः सही पते पर पेश होने पर जारी करने का उल्लेख है। इस स्थिति को आगामी तारीख पेशी दिनांक 06/07/17 दी गई। दिनांक 06/07/17 की आदेशिका मे वकील वादी की उपस्थिति दिखाई गई तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अंकित की गई है तथा एक तरफा बहस सुनी जाकर वादी के हक तक प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव मंगाये गये है। दिनांक 09/10/17 की ओदशिका के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने पर अंतिम डिक्री जारी की गई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नही बनाया जाकर गिरदार द्वारा तैयार किये गये है। तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये है। वकील अपीलान्ट ने 2016–17 (Supp) आरआरटी पेज 711 की नजीर पेश की जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये गये–प्रस्ताव पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर नही–अपीलान्ट की मौजुदगी मे विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया और नायब तहसीलदार द्वारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की–निर्णित, आदेश अपास्त किया एस. डी.ओ. को मामला प्रतिप्रेषित किया गया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत किया गया। जिसका आधार पुराना खसरा नम्बर 843 जिसका खसरा 1050 बना तथा रकबा 0.17 है0 बनाया गया है। रजिस्ट्री को लेकर विचारधीन सिविल वाद व स्टे प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे खारीज हो जाने के कारण जल्दी सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमे वकील उपस्थित हुए है तथा आगामी तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की हद तक जारी की गई। जिसके विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण दिनांक 09/10/2017 को अंतिम डिक्री जारी की गई। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तामील स्टेज पर चल रही थी जिसमे प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तामील पुनः जारी होनी थी तथा उस हेतु पुनः सही पते पर सम्मन भरकर वादी श्री रणजीतसिंह की ओर से प्रस्तुत किये जाने थे जो कि नही किये गये जिसके कारण उनका कोई पक्ष/उपस्थिति नही हो सकी। उप–तहसीलदार भादसोडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21/07/17 को तैयार कर तहसीलदार भदेसर को भिजवाया गया। गिरदावर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मे वादीगण की उपस्थिति दर्ज है तथा प्रतिवादीगण के सम्बन्ध मे यह उल्लेखित है कि मौके पर बुलाये जाने के बावजूद भी वे लोग मौके पर नही आये। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार भदेसर के प्रतिहस्ताक्षर है। वाद वादी की हद तक निर्णित किया गया है। उक्त खाता शामलाती है जिसमे अन्य काश्तकारान भी है, उनका कब्जा कहां है उसका उल्लेख कही पर भी होना नही पाया जाता है। वादी ने मुख्य आधार यह लिया है कि पुराने आराजी नम्बर 843 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मे से प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से मे से प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से मे से रकबा 0.15 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 1050 रकबा 0.17 है0 है, जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03/08/2011 को प्रतिवादी नम्बर 1 से क्रय किया है तथा कब्जा मिलने के बाद वादी के पक्ष मे इंतकाल नम्बर 3395 दिनांक 23/08/11 को विधिवत खाता खोल दिया गया। वादी द्वारा उल्लेखित पडौसियान का विवरण राजस्व रिकार्ड मे कही नही है। उपखण्ड अधिकारी ने भी अपने प्राथमिक डिक्री के

निर्णय मे इस तथ्य का उल्लेख किया है कि वादी द्वारा केवल मात्र आराजी नम्बर 1050 मे से ही विभाजन चाहा है जबकि यह खसरा संयुक्त खाता संख्या 550 मे वर्णित भूमि का हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे बयनामे की प्रति उपलब्ध है जिसमे भी पडौसियो का विवरण उल्लेखित है जिसके अनुसार पूर्व मे सडक, पश्चिम मे श्री शंकरलाल ब्राह्म्ण की आराजी उत्तर मे श्री शंकरलाल ब्राह्म्ण और दक्षिण मे श्री रामसिंह की आराजी का उल्लेख है। उक्त खसरा नम्बर 1050 मे से विभाजन प्रस्ताव मे से 0.0080 है0 भूमि श्री कालुलाल वगैरह को भी दी जानी प्रस्तावित की है। ऐसी सूरत मे यह प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव बनाने मे कोई पक्षपात/भूल नही की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक भूल होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2017 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09/10/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़